

कॉम्प्यूटर परिपत्र सं-1415015 दि. 19-05-2014

पत्र सं०-फार्म अनु०/ फार्म- XXXI डाउनलोडिंग / 2014-15 / — 655 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(फार्म-अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2014

-:आदेश :-

उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 49 के उपनियम (15) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फार्म-XXXI के विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in से डाउनलोड किए जाने के संबंध में निम्न निर्देश एतद्द्वारा निर्गत किए जाते हैं -

1- फार्म-XXXI डाउनलोड करने के लिए विभागीय वेबसाइट पर फार्म डाउनलोड करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त किया जाएगा। यह कार्य केवल एक बार ही किया जाएगा। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अवधारित है -

(1) विभागीय वेबसाइट पर Dealers Services Section में उपलब्ध e-Form/ e-Sancharan में क्लिक करने के उपरान्त Registration For Form Download लिंक पर क्लिक लिया जाएगा तथा स्क्रीन पर उपलब्ध विवरणों यथा संबंधित विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी का TIN / TDN , मोबाइल नम्बर , ई-मेल आईडी को भरा जाएगा।

(2) उक्त के पश्चात स्क्रीन पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फार्म के चेकबॉक्स में से फार्म-XXXI के सम्मुख चेकबॉक्स पर टिक (Tick) करके Submit किया जाएगा। संबंधित विवरण का प्रिंट आउट निकाल कर इसे हस्ताक्षरित करते हुए अधिक्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विवरणों का परीक्षण करने के उपरान्त आनलाइन अनुमोदन करते हुए संबंधित विभाग/ संस्था/ कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी को उपलब्ध करायी गयी ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्रेषित किया जाएगा। यह कार्य अधिकतम तीन कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।

2- फार्म-XXXI की नई लागू की जा रही डाउनलोडिंग व्यवस्था आफ लाइन सबमीशन (Submission) तथा आन लाइन सबमीशन (Submission) के दो चरणों में निष्पादित की जाएगी। आफ लाइन सबमीशन (Submission) में निम्न कार्य निष्पादित करना होगा -

(1) संबंधित विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी को सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट पर जाकर फार्म-XXXI के लिए अवधारित आफ लाइन टूल को डाउनलोड करना होगा तथा इसमें विनिर्दिष्ट निम्न प्रविष्टियों का अंकन आफ लाइन ही करना होगा -

(i) संविदी (Contractee) / क्रेता (Purchaser) का TIN / TDN

(ii) संविदाकार (Contractor) / विक्रेता (Seller) का TIN

(iii) वित्तीय वर्ष (Financial Year)

(iv) माह (Month)

mu

- (v) संविदा संख्या (Contract No.) / बिल संख्या (Bill No.)
 - (vi) संविदा की दिनांक (Date of Contract) / बिल का दिनांक (Date of Bill)
 - (vii) संविदा की प्रकृति (Nature of Contract)
 - (viii) भुगतान की गयी सकल राशि (Gross Amount Paid)
 - (ix) भुगतान का दिनांक (Date of payment)
 - (x) स्रोत पर की गयी कटौती की धनराशि (Amount Deducted at Source)
 - (xi) देय/जमा की गयी धनराशि (Amount Payable/Paid)
- (2) संबंधित विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी द्वारा जिन-जिन TIN के डीलर्स के संबंध में कटौती की गयी है उन समस्त का उल्लेख करते हुए TDS की जो भी धनराशि जमा की जाएगी , उसका विवरण तदनुसार ऑफलाइन टूल में अंकित (entry) करना अनिवार्य होगा ।
- (3) यदि एक से अधिक चालान से TDS की कटौती की गयी धनराशि जमा की जाती है , तो प्रत्येक चालान से संबंधित अलग-अलग excel-sheet संबंधित संविदाकारों / विक्रेताओं के विवरणों का उल्लेख करते हुए आफ लाइन टूल में अंकित (entry) करने के उपरान्त अपलोड की जाएगी ।
- (4) अगर संविदाकार या विक्रेता को TIN प्राप्त नहीं है , तो ऐसे विक्रेता के लिए TIN के बाक्स में 090000000000 अंकित करना होगा ।

3- उपर्युक्तानुसार आफ लाइन तैयार की गयी excel-sheet को संबंधित विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी द्वारा फार्म -XXXI डाउनलोड के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए User ID तथा Password के माध्यम से लॉग इन (Log in) करके अपलोड किया जाएगा ।

4- जैसे ही उपर्युक्त विवरण अपलोड किए जायेंगे ,संबंधित विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी को एक टोकन नम्बर जेनरेट हो जाएगा ।

5- प्रश्नगत विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी द्वारा TDS की कटौती की गयी धनराशि मैनुअली चालान जमा करते हुए या नेट पेमेंट के माध्यम से संबंधित बैंक में जमा की जाएगी अथवा विभागीय वेबसाइट पर इस हेतु उपलब्ध टी.डी.एस. ई-चालान को भरकर इसे डाउनलोड करते हुए संबंधित बैंक में जमा किया जाएगा ।

उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में ऐसी जमा की गयी राशि के प्राप्त चालान की प्रति व्यापारी सुविधा केन्द्र में जमा की जाएगी , जहाँ इसकी प्राप्ति रसीद जारी की जाएगी । इसके पश्चात आफ लाइन टूल में Update Challan Against TDS बटन पर क्लिक करके तथा संबंधित टोकन नम्बर को सलेक्ट करके चालान नम्बर , चालान दिनांक , धनराशि , संबंधित बैंक का नाम जिसमें धनराशि जमा की गयी है तथा उसकी शाखा एवं व्यापारी सुविधा केन्द्र में संबंधित चालान को जमा करने पर प्राप्त की गयी रसीद संख्या को अंकित किया जाएगा ।

6- उक्त प्रक्रिया को जैसे ही संबंधित विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी द्वारा पूर्ण किया जाएगा , तब विभागीय डेटा बेस से किसी विसंगति के न होने की दशा में फार्म-XXXI का नम्बर TIN wise जेनरेट हो जाएगा । इन नम्बरों के विरुद्ध (Against) ऑफ लाइन टूल में उपलब्ध फार्म प्रिंट (Form Print) बटन को क्लिक करके संबंधित फार्म-XXXI का प्रिंट टिनवार (TIN wise) निकाला जा सकता है ।

7- जिस भी विभाग/संस्था/कारपोरेशन / बोर्ड / व्यापारी द्वारा उपरोक्तानुसार फार्म-XXXI डाउनलोड करने की सुविधा को अपनाया जाएगा उन्हें विभागीय कार्यालय से प्रिंटेड फार्म-XXXI प्राप्त करते हुए इनके उपयोग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

फार्म-XXXI डाउनलोड करने की उपर्युक्त सुविधा वैकल्पिक रूप में दिनांक 20 मई, 2014 से लागू होगी ।

m
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्र0प्र0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नाथडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/ असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी 0कमि0/ असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/ इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों ।

- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ०प्र० ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री सदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए, ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (34) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यो) के माध्यम से ।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (38) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय) 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस० कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (41) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (42) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (43) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (44) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी० टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (46) श्री पी०एस० जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (48) श्री आर०डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा० उ०पा० निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (51) इन्डियन इण्डो एसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु० नगर ।
- (52) संयोजक, टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०ए० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी० रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ०प्र०, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन० रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

- (62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
(63) वीरेन्द्र कुमार अप्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय
इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
(64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
(65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
(66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी
इलाहाबाद ।
(67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे
बदायूं ।
(68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगश- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
(70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1
यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
(74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
(78) प्रेसीडेंट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
(79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर 62, नोएडा ।
(81) राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।

Om
19.5.14
(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ